सं0-123/2015/8091/62-2-2015-2/12(02)/2002टीसी-II

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक: 01 अक्टूबर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजनान्तर्गत निर्मित सामूहिक नलकूपों का ऊर्जीकरण हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-202/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/ 2015-16, दिनांक 03-9-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजनान्तर्गत निर्मित सामूदायिक नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-18.97 लाख (रूपया अट्ठारह लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत् लघु सिंचाई विभाग में एस0सी0एस0पी0 के अधीन डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजनान्तर्गत निर्मित सामूहिक नलकूपों के ऊर्जीकरण पर व्यय हेतु है।

(2) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाय। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नही किया जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(5) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

(6) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(7) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित ध्नराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

3- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखाशीर्षक-2702- लघु सिंचाई- आयोजनागत-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-जनपद सन्तरविदास नगर में डा0 भीमराव अम्बेडर नलकूप योजनान्तर्गत निर्मित सामूहिक नलकूपों का ऊर्जीकरण-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 के प्रस्तर-2(1) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत वित्त विभाग के परामर्शानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-123/2015/8091(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।